राष्ट्रीय आवास बैंक
NATIONAL HOUSING BANK

रा.आ.बैंक (नदि)/जीएस/कोट./आउट05846/2020
22 सितम्बर, 2020

<< सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक >>

महोदया/महोदय,

भारत सरकार की सात अनुदान योजनाओं हेतु बचत बैंक खातों में निधियों के परिचालन एवं अनुरक्षण के लिए कोटेशन के आमंत्रण के संबंध में

राष्ट्रीय आवास बैंक (रा.आ.बैंक) भारत सरकार के अंतर्गत एक सांविधिक निकाय है, जिसकी स्थापना राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 के तहत की गयी, को भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों द्वारा जारी योजना दिशानिर्देशों के अनुसार पात्र प्राथमिक ऋणदाता संस्थानों (पीएलआई) के माध्यम से भारत सरकार (जीओआई) के विभिन्न अनुदान योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु केंद्रीय नोडल (सीएनए) के तौर पर चिह्नित किया गया है। वर्तमान में, भिन्न-भिन्न सरकारी योजनाओं के अंतर्गत निधियों के अनुरक्षण हेतु रा.आ.बैंक द्वारा सात ब्याज –वहन बैंक खाते परिचालित किये जाते हैं।

2. रा.आ.बैंक भिन्न-भिन्न सरकारी योजनाओं के अंतर्गत उक्त सात बैंक खातों की निधियों का निर्बाध परिचालन एवं अनुरक्षण करने हेतु सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (रा.आ.बैंक के मुख्यालय, भारत पर्यावास केंद्र, लोधी रोड, नई दिल्ली -110003 के आसपास स्थित शाखाओं में अधिमानतः) से मुहरबंद कोटेशन आमंत्रित करता है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक निम्नलिखित प्रारूप के अनुसार बचत खाता खोलने एवं परिचालन हेतु अपनी बोली प्रस्तुत कर सकता है:

शेष स्लैब (रु. में राशि)	% प्र.व. ब्याज कर (दैनिक शेष एवं दैनिक औसत शेष नहीं)
100 करोड़ रु. तक	
>100 करोड़ रु. एवं 500 करोड़ रु. तक	
>500 करोड़ रु. एवं 1,000 करोड़ रु. तक	
>1000 करोड़ रु.	

3. बोलीदाता को बोली में निर्दिष्ट खातों हेतु लिखित में पुष्टि करनी चाहिए कि:

- बोलीदाता बैंक की सीबीएस प्रणाली भारत सरकार के सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के अनुसार है, तथा यह पीएफएमएस में उन्हें पंजीकृत करने में सक्षम करेगा;
- कोट की गई ब्याज दर एक वर्ष अर्थात 30-09-2021 तक की न्यूनतम वैधता अवधि होनी चाहिए;
- अन्य सुविधाओं के अतिरिक्त, निर्बाध एवं शीघ्र सेवा प्रदान करने हेतु अनन्य लेन-देन अधिकारी तथा निगरानी प्रबंधक का आबंटन;
- बिना किसी न्यूनतम शेष अनुरक्षण आवश्यकताओं के साथ 'शून्य; खाता अनुरक्षण प्रभार;
- बिना किसी अतिरिक्त लागत के रा.आ.बैंक के प्राधिकृत अधिकारी को ई-मेल के माध्यम से मासिक शेष पुष्टिकरण प्रमाणपत्र भेजना;
- रा.आ.बैंक के अधिकृत अधिकारी (अधिकारियों) को मोबाइल नंबरों पर ऑनलाइन देखने के अधिकार और एसएमएस अलर्ट;
- 'शून्य' लेनदेन शुल्क / प्रभार एवं सेवा शुल्क / प्रभार के साथ इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के माध्यम से 100% लेनदेन अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए।
- बैंक के लेनदेन अधिकारी / निगरानी प्रबंधक से कॉल बैक पुष्टीकरण के साथ भा.रि.बैंक से निपटान के समय की अनुमति देने के दौरान रा.आ.बैंक के अधिकृत अधिकारी (अधिकारियों) के ई-मेल से आरटीजीएस/एनईएफटी इलेक्ट्रॉनिक भुगतान हेतु संलग्नकों के साथ भुगतान लेनदेन अनुरोध स्वीकार करना;
- सरकारी योजनाओं के खातों (योजना के नाम के साथ) की संख्या के संबंध में बोलीदाता प्रमाणपत्र कि क्या यह परिचालित हो रहा है;

- बैंक द्वारा केवल एक बोली प्रस्तुत की जा सकती है, तथा बोली में इस संबंध में बोली लगाने हेतु प्राधिकरण अनुमोदन का संलग्नक होना चाहिए, जो अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम, संपर्क विवरण आदि दर्शाता है। एक ही बैंक से प्राप्त बहुविध बोलियों के मामले में, सभी को रद्द कर दिया जाएगा। नियत तारीख एवं समय के पश्चात प्राप्त बोलियों पर विचार नहीं किया जाएगा तथा उन्हें अस्वीकार कर दिया जाएगा;
- बोली लगाने वाले बैंक को नियत समय एवं तिथि (बोली प्रस्तुत करने के पश्चात) तथा बोलियों को खोलने से पूर्व रा.आ.बैंक, मुख्यालय में अपने बोली प्रस्तावों के संबंध में एक प्रस्तुति देने के लिए तैयार होना चाहिए।

4. रा.आ.बैंक कोई भी कारण दिये बिना किसी भी या सभी कोटेशनों को अस्वीकार करने या स्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है अथवा किसी भी / सभी बोलीदाताओं से स्पष्टीकरण मांग सकता है। रा.आ.बैंक का निर्णय बोली दस्तावेजों के मूल्यांकन हेतु अंतिम है। आमंत्रण दस्तावेज की सॉफ्ट कॉपी रा.आ.बैंक की वेबसाइट http://www.nhb.org.in पर भी उपलब्ध कराई जाएगी।

5. कोटेशन में उपरोक्त प्रारूप की पूरी तरह से पुष्टि करनी चाहिए तथा हस्ताक्षर को छोड़कर हस्तलिखित नहीं किया जाना चाहिए। अधिकृत अधिकारी (अधिकारियों) द्वारा हस्ताक्षरित कोटेशन, मुहरबंद लिफाफे में बंद होनी चाहिये जिसके कवर पर बोली लगाने वाला बैंक, शाखा का नाम, संपर्क व्यक्ति, टेलीफोन एवं मोबाइल नंबर तथा ई-मेल-आईडी और पता होनी चाहिये और उसके ऊपर "भारत सरकार की सात अनुदान योजनाओं हेतु बचत बैंक खातों में निधियों के परिचालन एवं अनुरक्षण के लिए कोटेशन" लिखा होना चाहिये, और इसे दिनांक 30 सितम्बर, 2020 को शाम 4:00 बजे से पहले रा.आ.बैंक के निम्नलिखित पते पर पहुंच जाना चाहिये।

महाप्रबंधक
सरकारी योजनाएं
राष्ट्रीय आवास बैंक – मुख्यालय
तीसरी मंजिल, कोर 5 ए, भारत पर्यावास केंद्र
लोधी रोड, नई दिल्ली -110003

भवदीय,

ह/-
सहायक महाप्रबंधक
सरकारी योजनाएं